FAX

संख्या : /XVI/04/298/2002

प्रेषक,

विभा पुरी दास
प्रमुख सचिव एंव आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उद्यान भवन, चौबटिया
रानीखेत, अल्मोड़ा

उद्यान एवं रेशम अनुभाग

देहरादून, दिनांक: 17 मई, 2004

महोदय,

उत्तरांचल राज्य के उद्यानपतियों/उद्यमियों द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत औद्यानिकी से सम्बन्धित फसलों के उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण, नर्सरी आदि के विभिन्न परियोजनाओं पर उपरोक्त संस्थाओं से उद्यानपतियों/उद्यमियों को प्राप्त सहायता के समतुल्य धनराशि (मैचिंग ग्रान्ट) अनुदान के रूप में उत्तरांचल शासन द्वारा प्रदान किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है.

1. राज्य सरकार द्वारा उद्यानपतियों/उद्यमियों को प्रदत्त सहायता राशि उपरोक्त वर्णित संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सहायता राशि के समतुल्य होगी, परन्तु एक परियोजना के लिए सहायता धनराशि की अधिकतम सीमा रुपये 20 लाख अथवा कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (इनमें जो भी कम हो) देय होगी.
2. यह सहायता पिछली पूँजी निवेश सहायिकी (बैक एन्डिड) सहायता के रुप में प्रदान की जायेगी, अर्थात समुचित परीक्षण के उपरान्त यह धनराशि सम्बन्धित उद्यानपतियों/उद्यमियों के द्वारा जिस राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेकर यह परियोजना लगाई गई है, उसी ऋण खाते में जमा की जायेगी.
3. यह सहायता राशि ऊपर वर्णित संस्थाओं के द्वारा उद्यानपतियों/उद्यमियों को अनुमन्य सहायता राशि प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही प्रदान की जायेगी.
4. निदेशक, उद्यान सम्बन्धित उद्यानपतियों/उद्यमियों को उक्त सहायता राशि प्रदान करने से पूर्व सम्बन्धित जनपदों के जिला उद्यान अधिकारी एवं उद्यान विभाग के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रमों के लिए नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से परियोजना का भौतिक सत्यापन कराकर, निरीक्षण आख्या प्राप्त करने के उपरान्त सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में प्रदान करेंगें.
5. यह धनराशि उपरोक्त संस्थाओं के निम्न कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होगी :

. A: **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (National Horticulture Board) :**

उत्पादन तथा उत्तर फसल प्रबन्धन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास. इसके अन्तर्गत निम्न योजनायें पात्रता के श्रेणी में आयेगें .

- उच्च साधनायुक्त बगीचा जिसमें उपयुक्त पौध सघनता/छतरी प्रबंध, गुणवत्तायुक्त रोपण पदार्थ, उपर्युक्त निवेश के साथ प्रोत्साहन तथा प्रबंध क्षेत्र अपनाना सम्मिलित है.
- रोग रहित, कम से कम समय में उचित प्रकार के बहुभाग उत्पादन के लिए सूक्ष्म–प्रसार (टिश्यू कल्चर).
- पौली हाउसिज, ग्रीन–हाउसिज, नेट–हाउसिज आदि में नियंत्रित जलवायु परिस्थितयों के अन्तर्गत उच्च प्रौद्योगिकीयुक्त खेती.
- दक्ष जल प्रबंधन तकनीकी के द्वारा वर्षा आधारित उत्पादन, मृदा नमी संरक्षण के लिए घासपात से ढकना, मृदा रिसाव को कम करने के लिए रोक लगाना, ड्रिप माध्यम द्वारा सिंचाई, छिडकायन, उर्वरकीकरण तथा जल फसलन संरचना आदि.
- सब्जियों, फूलों, सजावटी पौधों, फल आदि के गुणवत्तायुक्त बीज/पौधों के लिए नर्सरी प्रबंधन, शंकर बीज उत्पादन, कार्बनिक कृषि, पूरे वर्ष गुणवत्ता उत्पादन के लिए जलध्वनिक, बागवानी में प्लास्टिक का प्रयोग, जैव–प्रौद्योगिकी.
- आनुवंशिकी तौर पर रूपांतरित जीव (जी.एम.ओज).
- उत्पादन, उत्तर–फसल रखरखाव, संसाधन तथा विपणन के लिए अवसंरचना का विकास.
- बाजारों का विकास तथा उत्पादों, उपस्करों के नए प्राथमिक संसाधनों का प्रारम्भ.

इस प्रकार, उत्पादन सम्बन्धित

उच्च गुणवत्ता वाणिज्यिक फसलें, देशज फसलें/उत्पाद झाडियाँ, सुगन्धित पौधे, बीज तथा नर्सरी, जैव प्रौद्योगिकी, उत्तक सांस्कृति, जैव पेस्टनाशी, कार्बनिक खाद्य, बागवानी स्वास्थ्य क्लीनिकों/प्रयोगशालाओं की स्थापना, मधुमक्खी पालन की योजनाएं एवं

पी.एच.एम/संसाधन से सम्बन्धित

ग्रेडिंग/पैकिंग/धुलाई/वैक्सिंग/छटाई/शुष्कण केन्द्र, पूर्व–शीतलन यूनिट/शीत भंडार, रीफर गाडी/डिब्बा, विशिष्ट परिवहन वाहन, परचून बाजार, नीलाम प्लेटफार्म, पक्वन संसाधन चेम्बर, बाजार यार्ड/रज्जुमार्ग, संसाधन यूनिट/विकिरण यूनिट/वाष्प ऊष्मा उपचार यूनिट, उत्पादों का प्रारंभिक संसाधन योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान किया जायेगा (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से परियोजनायें स्वीकृत होने के उपरान्त उनके द्वारा स्वीकृत धनराशि के समतुल्य धनराशि निदेशक, उद्यान द्वारा सम्बन्धित उद्यानपतियों/उद्यमियों को उपलब्ध करायी जायेगी).

B : राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (National Medicinal Plant Board)

वाणिज्यिक योजनायें (Commercial Schemes) जो राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रजातियों के लिए उपलब्ध है.

इसके अर्न्तगत निम्न कार्य से सम्बन्धित योजनाएं पात्रता की श्रेणी में आयेंगी.

1. उच्च गुणवत्ता के रोपण सामग्री उत्पादन.
2. कृषिकरण.
3. मूल्य संवर्धन जिसके अन्तर्गत ग्रेडिंग / पैकिंग / शुष्कण / स्टोरेज / प्रसंस्करण आदि.
4. विपणन.

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहायता को 30 प्रतिशत मानते हुये राज्य सरकार द्वारा इसके सापेक्ष 20 प्रतिशत सहायता उद्यानपतियों / उद्यमियों को प्रदान की जायेगी. निदेशक उद्यान द्वारा सहायता प्रदान करने से पूर्व अनिवार्य रुप से निदेशक, जडी बूटी शोध एवं विकास संस्थान से भी निरीक्षण आख्या प्राप्त करेंगे.

C: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) :

1. अवस्थापना सुविधाओं का विकास (SCHEME FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT)

इसके अर्न्तगत निम्न योजनाए पात्रता की श्रेणी में आयेगी:-

- Assistance for purchase of specialized transports units for animal product, horticulture and floriculture sector.
- Mechanization of harvest operation of the produce.
- Setting up of sheds for intermediate storage and grading/storage/cleaning operation of produce.
- Setting up of mechanized handling facilities including sorting, grading, washing, waxing, ripening, packaging & palletisation etc.
- Setting up of pre cooling facilities etc. with proper air handling system.
- Providing facilities for preshipment treatment such as fumigation, X-ray screening, hot water dip treatment, water-softening plant.
- Setting up of integrated post harvest-handling system (pack houses/green house with any two or more of the above facilities)
- Assistance for setting up of environment control: system e.g. pollution control, treatment etc.
- Setting up of specialized storage facilities such as high humidity cold storage's, deep freezers, controlled atmosphere (CA) or modified atmosphere (MA) storage etc.

उपरोक्त योजनाओं में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत सहायता के सापेक्ष समतुल्य धनराशि सम्बन्धित उद्यानपतियों / उद्यमियों को उपलब्ध करायी जायेगी.

2. विपणन का विकास (SCHEME FOR MARKET DEVELOPMENT)

- Assistance to exporter's for use of packaging material as per standards and specification developed or adopted by APEDA.

(उपरोक्त योजना के लिए एपिडा द्वारा स्वीकृत सहायता को 30 प्रतिशत मानते हुए राज्य सरकार द्वारा इसके सापेक्ष 20 प्रतिशत सहायता प्रदान की जायेगी)

D: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार :

I- **Scheme for Technology up gradation /Establishment/ modernization of food processing industries.**

इसके अन्तर्गत निम्न योजनाये सहायता के लिए पात्रता की श्रेणी में आयेगें.

a) Setting up/expansion/modernization of food processing industries covering all segments viz fruits & vegetable, milk products, meat, poultry, fishery, cereal, pulses, oil seeds and such other agri-horticulture sectors leading to value addition and shelf life enhancement including food flavours and colours, oleoresins, spices, coconut, mushroom, hops etc.
b) Modernization of pulse milling unit-installation of driers and dust control system.
c) Setting up of mini pulse processing unit.

2. अवस्थापना सुविधाओं का विकास (SCHEME FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT)

इसके अन्तर्गत निम्न योजनाए पात्रता की श्रेणी में आयेंगी:-

- Food Park
- Packaging center
- Modernised Abattoirs
- Integrated Cold Chain Facilities
- Value Added Center
- Irradiation Facilities

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सहायता धनराशि को 33⅓ % मानते हुए उसके सापेक्ष 16⅔ % धनराशि उद्यानपतियों / उद्यमियों को उपलब्ध की जायेगी.

भवदीया

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

संख्या :406/XVI/04/298/2002, तद्दिनांकः– 17-5-04

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

1. सचिव, कृषि, उत्तरांचल शासन.
2. अपर सचिव, वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन.
3. संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
4. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगॉव, हरियाणा.
5. प्रबन्ध निदेशक, एपिडा, भारत सरकार, नई दिल्ली.
6. निदेशक, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली.
7. निदेशक, जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर, चमोली.
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून.

आज्ञा से

(एस0पी0सुबुद्धि)
अपर सचिव, उद्यान